अध्याय 3

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन पणधारी (शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, सरकार एवं समुदाय) को संतुष्ट करने एवं विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर एक संगठन में संरचना, प्रचालन और नियंत्रण की एक प्रणाली है। निगमित अभिशासन कम्पनियों को निर्देश देने और नियंत्रण का एक माध्यम है। यह कम्पनी और प्रबन्धन के नैतिक, नीतिपरक, मूल्यों, पैरामीटरों, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कम्पनियों का अधिक पारदर्शिता और बेहतर एवं समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के सर्वोत्तम हित में प्रबन्धन द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। अच्छे अभिशासन संरचनाओं के अभाव और अभिशासन सिद्धान्तों के पालन के अभाव में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा सौंपी गई शक्तियां के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।

3.1.1 भारत में निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन के निर्देश की भारत में पहल की गई जिसमें मुख्यत: कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आदेश दिए जाते हैं। जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न संशोधनों ने सम्पूर्ण देश में कम्पनियों का अभिशासन निर्देश दिए, डीपीई ने सार्वजनिक क्षेत्र में अभिशासन पहलों का माध्यम उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए।

3.1.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर कार्यालयी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुन: दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर मई, 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुन: जारी करने का निर्णय लिया गया था, इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये

सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्वारा जारी दिर्शानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन और बोर्ड समितियों के कार्य जैसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण उदघोषणाएं रिपोर्टों और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर करते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई 2010 में जारी डीपीई दिशानिदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य हैं। डीपीई ने सभी सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन मानकों के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, डीपीई ने निगमित अभिशासन पर सीपीएसईज की ग्रेडिंग के लिए संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किया था (जुलाई 2014), जिसके अनुसार निगमित अभिशासन पर 2013-14 दिशा-निर्देशों के अनुपालन से निम्नलिखित वर्ग की कंपनियों को डीपीई ने छूट प्रदान की अर्थात (क) बन्द सीपीएसईज, (ख) परिसमापन के तहत सीपीएसईज, (ग) कारोबार न करने वाली सीपीएसईज, और (घ) एसपीवी के रूप में गठित सीपीएसई। इसके अतिरिक्त, डीपीई ने बताया (फरवरी 2015) कि निगमित अभिशासन दिशा-निर्देश से विचलन पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से समझौता ज्ञापन के तहत सीपीएसईज के निष्पादन मूल्यांकन की नकारात्मक गणना की जाएगी।

3.1.3 निगमित अभिशासन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 में निगमित अभिशासन के संबंध में कोई सीधा प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों में कतिपय पद्धतियों को निर्धारित किया गया कि सख्त, निगमित अभिशासन संरचना बनाएं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के कुछ ऐसे प्रावधानों को नीचे दिया गया है:

- धारा 217 (2एए) को दिसम्बर, 2000 से लागू किया गया जिसमें यह दर्शाते हुए बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशक के जिम्मेवारी विवरण के लिए प्रावधान किया गया कि लागू लेखाकरण मानकों का लेखाओं के तैयार करने और उससे महत्वपूर्ण विचलनों की रिपोर्टिंग का अनुसरण किया गया कि कम्पनियों ने अपनी लेखाकरण नीतियों का सुसंगत रूप से पालन किया और सभी लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।
- धारा 292ए को दिसम्बर 2000 से लागू किया गया जिसमें प्रत्येक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूंजी ₹ 5 करोड़ से कम न हो, में बोर्ड की समिति के रूप में लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निरीक्षण तथा अन्य कर्तव्यों के निष्पादन एवं बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट जिम्मेवारियों से संबंधित सभी मामलों को शामिल किया जाता है।
- अधिनियम की धारा 299 में कम्पनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा उसकी या कम्पनी की ओर से किए गए ठेका अथवा करार (वर्तमान अथवा प्रस्तावित) में उसकी चिन्ता अथवा हित के स्वरूप का बोर्ड की बैठक में प्रकटीकरण करना आवश्यक है। कम्पनी को ऐसे

संव्यवहारों को अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत ठेका रजिस्टर में दर्ज करना भी अपेक्षित है।

1 अप्रैल 2014 से शुरू होने वाली अवधि के लिए नए कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं 134, 177 और 184 द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को प्रस्थापित कर दिया गया है। हालांकि 31 मार्च 2014 तक की अवधि को कवर करने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों और प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति पर इस रिपोर्ट में टिप्पणी नहीं की गई है।

3.1.4 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशा-निर्देश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र दिनांक 21 फरवरी, 2000 के माध्यम से सूचीगत करार में एक नया खण्ड 49 शामिल किया। सूचीगत करार के खण्ड 49 में संशोधन अक्तूबर 2004 में किया गया और संशोधित खण्ड को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। सूचीगत करार के खण्ड 49 में निदेशक मण्डल के गठन, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति के गठन और कार्य, सहायक कम्पनी की तुलना में नियंत्रक कम्पनी के निदेशक मण्डल एवं लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, प्रकटीकरण और अन्य मामलों के मध्य अनुपालन रिपोर्टों आदि का प्रावधान है।

3.1.5 निगमित अभिशासन प्रावधानों के चयनित सीपीएसईज द्वारा अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2014 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 544 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इसमें 377 सरकारी कम्पनियों, 161 मानी गई सरकारी कम्पनियों और छः सांविधिक निगमों को शामिल किया गया था। अधिकांश सीपीएसईज, जिसमें महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न शामिल हैं, लाभ अर्जन कर रही हैं और वर्षों से उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। सीपीएसईज को अधिक स्वायतता प्रदान करने के लिए सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत सीपीएसईज से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढ़ाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से सेबी और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों-कंपनी अधिनियम, 1956 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की गई थी। मूल्यांकन रूपरेखा में निहित प्रावधानों के आधार पर निदेशक मण्डल के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तों आदि से संबंधित विशेष प्रश्न निहित हैं।

इस वर्ष वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, खनन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय के अधीन सीपीएसईज को उनके मूल्यांकन रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने हेतु चयनित किया गया है। इस तरह से बताए गए पॉच मंत्रालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन 34 कंपनियों (बंद कंपनियों और एसपीवीज को छोड़कर) को इस समीक्षा में कवर किया गया। इस समीक्षा में मार्च, 2014 को समाप्त एक वर्ष

की अवधि निहित थी। इन कंपनियों की एक सूची परिशिष्ट XVIII में दी गई है। समीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में दर्शाए गए हैं।

3.2 निदेशक मण्डल

3.2.1 सरकारी नामिती निदेशक

डीपीई दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सरकारी निदेशकों को निदेशक मण्डल की वास्तविक क्षमता के छठवें हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए और बोर्ड में मात्र एक प्रतिनिधि रखना अधिमान्य है। तथापि, किसी भी मामले में, यह दो से अधिक नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में सरकारी निदेशक दो से अधिक थे:

क्र.सं.	सीपीएसईज का नाम	सरकारी नामित निदेशकों की संख्या
1	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	8
2	दिल्ली मेट्रा रेल कारपोरेशन लिमिटेड	9
3	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन	3
4	जे एण्ड के डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	6
5	औरंगाबाद टैक्सटाइल्स एण्ड अपेरल पार्क्स लिमिटेड	5
6	न्यू सिटी आफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल लिमिटेड	5
7	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड	3
8	इंडिया टेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	4

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को, जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हो, शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 40(I)(ए)(II) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहॉं बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहॉं कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशकहै,तो कम से कम बोर्ड का आधा स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। नामिती निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक नहीं माना गया है।

3.2.2.1 समीक्षित कम्पनियों के निदेशक मंडल के गठन की समीक्षा से पता चला कि जे एण्ड के डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के प्रति केवल एक निदेशक रखा था।

3.2.2.2 निम्नलिखित सीपीएसईज में, बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे:

क्र.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
2	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
3	जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड
5	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
6	झारखण्ड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
7	रॉंची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड
8	दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
9	नेशरल सेंटर फॉर ट्रेड इंफार्मेशन
10	पीईसी लिमिटेड
11	डॉनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
12	इंडिया यूनाइटेड टेक्साटाईल्स मिल लिमिटेड
13	गोल्डमोहर डिजाइन एण्ड अपेल पर्क्स लिमिटेड
14	अपोलो डिजाइन एण्ड अपेरल पर्क्स लिमिटेड
15	दि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
17	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
18	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (1) (ए) (I) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.2 में प्रावधान है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल में कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी/कार्यात्मक एवं गैर कार्यात्मक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए तथा गैर कार्यकारी निदेशकों को बोर्डकी क्षमता के पचास प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे:

क्र. सं.	सीपीएसईज का नाम	वांछित	वास्तविक
1	नेशनल जूट मैनुफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड	2	1
2	द कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2

3.2.4 निदेशक मंडल की बैठकें

डीपीई दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक तीन महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक अवश्य होनी चाहिए। एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें अवश्य होनी चाहिए और दो

बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित सीपीसीईज के मामलों में यह देखा गया कि अपेक्षित चार बैठकें नहीं की गई थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	3
2	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	2
3	जे एण्ड के डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1

3.2.5 कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों पर सूचना

डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीगत करार के खण्ड 49 में कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों के बारे में न्यूनतम सूचना निर्धारित की गई है, जिसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना में वार्षिक परिचालन योजनाओं, बजट, त्रैमासिक परिणामों, लेखापरीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त, बोर्डस्तर से थोड़ा कम वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती एवं पारिश्रमिक पर सूचना, संयुक्त उद्यम के ब्यौरे, विदेशी विनिमय आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में बोर्ड को वांछित सूचना नहीं दी गई थी:

क्र.सं.	न्यूनतम सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	सीपीएसई का नाम
1	कंपनी और इसके प्रचालक भागों या बिजनैस खंड़ों के तिमाही परिणाम;	तमिलनडू ट्रेड प्रोमोसन आर्गनाईजेशन
		रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
		स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
		दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
2	लेखापरीक्षा समिति का कार्यवृत्त	हैंडिक्राफ्ट्स एंड हैंडलुम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन
3	बोर्ड स्तर से नीचे वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और मुआवजे की सूचना सहित मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी की नियुक्ति या पदच्यूति	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
		दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
		सेंट्रल काटेज इंडस्ट्रिज़ कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
		अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्कस लिमिटेड
		नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड

3.2.6 जोखिम प्रबंधन

उद्यम जोखिम प्रबंधन, जोखिम का प्रबंध करने तथा ईकाई की प्रतिष्ठा की क्षति और संबंधित परिणामों को रोकने में प्रबंधन की सहायता करता है। निगमित प्रबंधन नीतियों की योजना में

जोखिम प्रबंधन के महत्व पर विचार करते हुए इसका निरीक्षण बोर्ड/प्रबंधन के मुख्य उत्तरदायित्वों में से एक होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देशों में जोर दिया जाता है कि बोर्ड को निगमित एवं प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंध प्रणाली का एकीकरण और सुधार सुनिश्चित करना चाहिए और यह भी कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य कारोबार प्रथा के भाग के रूप में लिया गया है न कि निर्धारित समय में अलग कार्य के रूप में। निम्नलिखित कंपनियों में जोखिम पॉलिसी अभी विकसित की जानी है:

क्र.सं.	सीपीइसई का नाम
1	स्पाईसिज ट्रैडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
2	पांडीचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
3	तमिलनाडू ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
4	मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
5	दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
6	इंडिया यूनाईटेड टेक्सटाईल मिल लिमिटेड
7	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड
8	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
9	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्करन लिमिटेड

3.2.7 कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र निदेशकों के पदों का भरा जाना

निदेशकों के पदों में रिक्तियों को समय से भरा जाना कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों के भरने में कोई भी विलम्ब निर्णय लेने वाली प्रक्रिया की प्रभावकारिता में बाधा डाल सकता है। निम्नलिखित कम्पनियों में 31 मार्च 2014 तक निदेशकों कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र आदि के पदों को भरने में 6 माह या उससे अधिक विलम्ब हुआ था:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	महीनों की सं.
1	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	निदेशक (संचालन)	8
2	नाल्को	सीएमडी	7
		निदेशक (वित्त)	8
3	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया
4	एमएमटीसी लिमिटेड	सीएमडी	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया
5	पीईसी लिमिटेड	निदेशक	17
6	द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया
		निदेशक (विपणन)	31 मार्च 2014 तक भरा नहीं गया

7	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.	स्वतंत्र निदेशक	मई 2010 से रिक्त
8	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	सीएमडी	जून 2013 से रिक्त

3.3 लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीगत करार के खंड 49 (II) (ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में प्रावधान है कि सदस्यों के रूप में न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि, अग्रलिखित कंपनियों के संबंध में, डीपीई दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी:

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1	स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
2	पीईसी लिमिटेड
3	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रिज़ कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

निम्निलखित कम्पनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य यथा अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक हैं:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
2	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीगत करार के खंड (ii) (ए) (iii) और डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। निम्नांकित मामलों में, कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बावजूद लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र नहीं थे:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
2	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.4 निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में सूचीगत करार खंड 49 (iii) (ए) (vi) के और डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी के सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के रूप में कार्य नहीं किया:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जट मैक्यफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	न्य सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
3	औरंगाबाद टैक्सटाईलस एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.3.5 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (बी) और डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.4 में अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम चार बार बैठक होनी चाहिए तथा दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संदर्भ में वर्ष 2013-14 के दौरान चार से कम बैठकें हुई थी:

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जूट मैक्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
3	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स
4	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
5	हैंडिक्राफ्टस एंड हैडलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
8	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
9	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
10	जे एंड के डेवलपमेंट फाईनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.6 डीपीई दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में, **इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड** की लेखापरीक्षा समिति की बैठक में, तीन बैठकों में दो स्वतंत्र निदेशकों से कम उपस्थिति थे जो अपेक्षित कोरम पूरा नहीं करते।

3.3.7 सूचीकरण करार का खंड 49 (II)(ए)(v) और डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 4.1.5 दर्शाते हैं कि लेखापरीक्षा समिति ऐसे कार्यकारियों को आमंत्रित कर सकती है, यदि वह उचित समझे (और विशेषत: वित्त कार्य के अध्यक्ष) तो समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए कह सकती है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के किसी कार्यकारी के बिना भी बैठक कर सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के एक प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयानुसार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितों के रूप में विशेषत: आमंत्रित कर सकते हैं। निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष और सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था, परंतु वे लेखापरीक्षा समिति की कुछ बैठकों में उपस्थित नहीं थे:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	अनुपस्थिति आमंत्रित-गण	भाग न ली गई बैठकों की संख्या
1	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष	1
2	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक	4

3.3.8 लेखापरीक्षा समिति द्‌वारा जानकारी की समीक्षा

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (डी) और डीपीई दिशा-निर्देश लेखापरीक्षा समितियों की भूमिका को दर्शाते हैं। उनमें से एक है बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक/तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना। लेखापरीक्षा समिति को विशेषत: निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण लेखांकन नीतियों और कार्यप्रणालियों, मुख्य लेखांकन प्रविष्टियों में बदलावों, यदि कोई है; लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्राप्त वित्तीय विवरणों में किये गये महत्वपूर्ण समायोजन, वित्तीय विवरणों से संबंधित विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबंधित किसी भी पार्टी लेन-देन और विशिष्टिताओं के प्रकटन की समीक्षा की जानी चाहिए। यह पाया गया कि लेखापरीक्षा समितियों ने निम्नलिखित सीपीएसईज़ के संबंध में बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा नहीं की थी:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
2	गोल्ड मोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
3	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.3.9 आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की उपयुक्तता

डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.7 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, यदि कोई हो, जिसमें विभाग की संरचना, स्टाफिंग तथा विभाग के आधिकारिक प्रधान की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति व कवरेज की उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में, लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड
2	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
3	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
4	न्यू सीटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
5	इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.10 चेतावनी तंत्र

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (डी) (12) तथा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2.12 में अपेक्षा की गई है कि लेखापरीक्षा समिति कम्पनी चेतावनी तंत्र के क्रियाकलापों की समीक्षा करे। सूचीगत करार में अपेक्षा की गई है कि कम्पनी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धन को अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशंकित धोखाधड़ी या कम्पनी की आचार संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के बारे में सूचना देने के लिए एक तंत्र की स्थापना करे। यह तंत्र उन कर्मचारियों को, जो इस तंत्र का उपयोग करेंगे, के शोषण के प्रति पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगा तथा कुछ अपवादात्मक मामलों में लेखापरीक्षा के अध्यक्ष तक भी सीधा सम्पर्क स्थापित कराएगा। एक बार तंत्र स्थापित होने के बाद, तंत्र के होने की सूचना संगठन में समुचित रूप से प्रसारित की जाए। निम्नलिखित कम्पनियों में चेतावनी तंत्र नहीं था:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
2	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाईल मिल लिमिटेड
3	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
4	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
5	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड
6	न्यू सीटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
7	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
8	औरंगाबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
9	जे एंड के डेवलेपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.11 कुछ कंपनियों में, हालांकि चेतावनी तंत्र विधमान है, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जूट मैन्यूफक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	द जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	हिंदीस्तान कॉपर लिमिटेड

3.3.12 विशिष्ट सूचना की समीक्षा

सूचीगत करार के खंड 49 (II) (ई) और डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 4.5 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली सही सूचना की समीक्षा अवश्य करनी होती है। यह पाया गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने ऐसी कोई समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा नहीं की गई	सीपीएसई के नाम
1	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किये गये प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमियों के पत्र	द जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	कंपनी की लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों हेतु प्रस्ताव, यदि कोई है	नाल्को
3	लेखांकन मानकों की व्याख्या संबंधित मामले	नाल्को
4	आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिर्पोटें	इंडिया यूनाइटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
		न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
5	मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्यूति, क्षतिपूर्ति की शर्तें	इंडिया यूनाइटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
		नेशनल हैंडलूम डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड
		न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड

3.3.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत करती है। डीपीई दिशा-निर्देशों का पैरा 4.2.13 यह दर्शाता है कि लेखापरीक्षा समिति को सीएजी लेखापरीक्षा अवलोकनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों में, लेखापरीक्षा समितियों ने विगत वर्षों की सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा पैरा/समीक्षाओं की समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	नाल्को
2	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड

3.3.14 लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की समीक्षा

डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा सं. 4.2.2 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को निदेशक मंडल से सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण की सिफारिश करनी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों के मामलों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश नहीं की गई:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
2	द कॉटन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
3	जे एंड के डेवलेपमैंट फाईनैंस कार्पोरेशन

3.3.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सूचीगत करार के खंड 49 (II)(डी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.10 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा प्रवृत्ति तथा कार्यक्षेत्र के साथ-साथ किसी चिंतनीय विषय पर पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा की जानी चाहिए। निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, लेखापरीक्षा समितियों ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	जो चर्चा नहीं की गई
1	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
2	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
3	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
4	अपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
5	हैंडिक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	दोनों पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा और पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
6	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	लेखापरीक्षा पूर्व चर्चा
7	द कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
8	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
9	औरंगाबाद टैक्सटाईल एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
10	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनैंस लिमिटेड कार्पोरेशन लिमिटेड	दोनों पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा और पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा
11	इंडियन टूरिज्म डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा

3.4 बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता

सूचीगत करार के खंड 49 (I) (डी) और डीपीई के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 में प्रावधान है कि बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार-संहिता प्रचारित की जानी चाहिए और कंपनियों की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाए और बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर संहिता का

अनुपालन सुनिश्चित करें। निम्नलिखित मामलों में, व्यापार आचरण और नैतिकता के मॉडल कोड को प्रचारित नहीं किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
2	असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
3	डोनई पोलो होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
4	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
5	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
6	रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
7	स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
8	इंडिया यूनाईटेड टैक्सटाईल मिल्स लिमिटेड
9	गोल्डमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
10	आपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
11	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड
12	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
13	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड
14	जे एंड के डेवलेपमेंट फाईनैंस लिमिटेड कार्पोरेशन लिमिटेड
15	औरगांबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
16	मध्य प्रदेश अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड

3.4.1 निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, कंपनी द्वारा आचार संहिता पर वार्षिक पुष्टि का रिकॉर्ड नहीं रखा गया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	तमिलनाडू ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
2	असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
3	डोनई पोलो अशोक हेाटल कार्पोरेशन लिमिटेड
4	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड
5	रांची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड
6	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाईजेशन
7	स्पाईसिज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
8	इंडिया युनाईटेड टैक्सटाईल मिल लिमिटेड
9	गोल्हमोहर डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

10	आपोलो डिजाईन एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड
11	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
12	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	औरगांबाद टैक्सटाईल्स एंड एपरैल पार्क्स लिमिटेड

3.5 सहायक कंपनियां

डीपीई दिशा-निर्देशों का अध्याय 6 यह दर्शाता है कि धारित कंपनी के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक अपनी सहायक कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक होंगे। हालांकि निम्नलिखित धारित कंपनियों से सहायक कंपनियों के बोर्ड पर कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
2	एमएमटीसी लिमिटेड
3	द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

3.6 निष्कर्ष:

34 चयनित सीपीएसईज़ में से 18 सीपीएसईज़ में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई; नौ सीपीएसईज़ में अभी भी जोखिम नीति तैयार की जानी थी, आठ सीपीएसईज़ के निदेशक मंडल में रिक्तियों को भरने में छः महीनों से अधिक देरी देखी गई; 10 सीपीएसईज़ में लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकों से कम बैठकें आयोजित की गई; नौ सीपीएसईज़ में कोई चेतावनी तंत्र नहीं बनाया गया था, और 16 सीपीएसईज़ में निदेशक मंडल के लिए मॉडल आचार संहिता प्रचारित नहीं की गई थी। इस प्रकार, निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशा निर्देशों का; जो कि आवश्यक थे, काफी सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन नहीं किया था।

3.7 सिफारिशें:

भारत सरकार एक प्रभावी शासनादेश के साथ डीपीई को सशक्त कर सकती है ताकि सरकार सीपीएसईज़ में निगमित प्रशासन के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और उद्देश्यों को प्राप्ति की प्रोत्साहन देने के लिए एक उपयुक्त वरिष्ठ स्तर पर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों के ऊपर प्रभाव डालने की स्थिति में रहे।

अध्याय को मार्च 2015 में कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय को जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2015)।